



संख्या: 116/2026/I/1297699/2026-68-5099/211/2025

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2026

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-शि0नि0(बे0)/नियोजन/638-42/2026-27, दिनांक 06.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्ष-"2202-01-102-23-20-सामान्य अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद में प्रावधानित धनराशि रू0 25000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान हेतु प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0 25000.00 लाख (रूपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्य/प्रयोजन हेतु किया जायेगा।
- (2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेशों/दिशा निर्देशों की शर्तों एवं प्रतिबंधों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, धनराशि माहवार आवश्यकता के अनुसार ही राजकोष से आहरित की जायेगी।
- (4) अगली वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) वित्तीय व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष -"2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-23- शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
 - 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
 - 3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ ।
 - 4- राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ ।
 - 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज ।
 - 6- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज/लखनऊ ।
 - 7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
 - 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन ।
 - 9- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
 - 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।